रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67/2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –39 ● अंक –10 ● कानपुर 16 से 31 मई 2017 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹ 100

इलेक्ट्रो होम्योपैथ अपनी व्यवस्था सुधार लें

"जो जिस विधा का चिकित्सक है उसे उसी विधा में चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकार है.."

यदि वह उसके विरूद्ध कार्य करता है तो उस चिकित्सक का यह कार्य अवैधानिकता की श्रेणी में आता है और एक तरह से यह संज्ञेय अपराध भी माना जाता है, यह बात सभी चिकित्सक भलीभांति जानते हैं परन्तु सबकुछ जानते हुए भी लोग अवैधानिक कार्य में लिप्त रहते हैं। यह बात इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों पर भी लागू होती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को अपनी विधा में चिकित्सा व्यवसाय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है इसके लिए बाकायदा प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश जारी किया जा चुका है परन्तु हमारे बहुत सारे चिकित्सक बार – बार चेतावनी देने के उपरान्त भी अन्य विधा से चिकित्सा व्यवसाय करने में लिप्त हैं जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं है। सरकार बार बार चिकित्सकों को इस बारे में सूचित करती रहती है कि वह अपनी विधा में ही चिकित्सा व्यवसाय करें यदि चिकित्सक इस बात का उल्लंघन करता है तो वह चिकित्सक झोलाछाप की श्रेणी में आता है और प्रदेश में किसी भी झोलाछाप चिकित्सक को चिकित्सा व्यवसाय करने का वैधानिक अधिकार नहीं प्राप्त है और झोलाछाप चिकित्सक यदि जांच में पकड़ा जाता है तो उसके विरूद्ध विधिक व दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का सरकारी प्रावाधान है, चिकित्सकों की जांच पड़ताल का मामला वर्षों से चलता चला आ रहा है लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा इस जांच पड़ताल को ज़्यादा महत्व न देने के कारण झोलाछाप चिकित्सकों के हौसले बुलन्द रहते हैं और वह अवैधानिक कार्य में लिप्त रहते हैं परन्तु वर्तमान सरकार का रूख इस बार कुछ ज़्यादा ही कड़ा है, वह चिकित्सा हो या शिक्षा हर क्षेत्र में कड़ा रूख अपनाये हुए है आप सभी को पता होगा कि प्रदेश सरकार किस तरह से सरकारी सेवा में लगे डाक्टरों पर लगाम कसे हुए है, हर चिकित्सक कानून में रहकर ही काम करने को बाध्य है।

गत सप्ताह प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कानपुर में एक प्रेस वार्ता में पूरे प्रदेश में अपनी व्यवस्था में सुधार कर लें।

एलोपैथी में अपनी लिप्तता को त्याग दें और शुद्ध इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ही चिकित्सा व्यवसाय करें जो चिकित्सक यह बहाना बनाते हैं कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी से व्यवसाय तो करना चाहते हैं बाहर लगे बोर्ड पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी शब्द का स्पष्ट उल्लेख करे, अपने लेटरपैड पर भी अपने नाम के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक शब्द का प्रयोग करते हुए अपनी पंजीयन संख्या भी लिखे, इसके साथ – साथ अपने जनपद में आपने जो पंजीयन की प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की है वह भी आपके क्लीनिक में होनी चाहिये। पूरा प्रयास करें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अलावा अन्य कोई भी औषधि आपके क्लीनिक पर न पायी जाये रोगियों को देखने और उनको दी जाने वाली औषधियों का रिकार्ड भी अपने रजिस्टर में सुरक्षित रखें अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उन्हें दिखायें अभी भी प्रदेश में बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने शिक्षा तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्राप्त की है परन्तु पंजीयन नहीं करवाया बिना पंजीयन के ही चिकित्सा व्यवसाय में लगे हुए हैं ऐसे चिकित्सक तत्काल अपना पंजीयन अपनी परिषद में करा लें क्योंकि बिना पंजीयन के चिकित्सा व्यवसाय करना अपराध की श्रेणी में आता है। बिना पंजीयन के प्रैक्टिस करते हुए पकड़े जाने पर आपके विरूद्ध अधिकारी मुकदमा लिखा सकता है भले ही आप शुद्ध इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्यों न हों। बोर्ड के वह चिकित्सक जिनके पंजीयन की अवधि समाप्त हो चुकी है वह अविलम्ब अपना नवीनीकरण करा लें जिससे कि उन्हें भी पंजीकरण सम्बन्धी कोई परेशानी न हो क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी कीमत चुकवा लेती है इसलिए हर पहलु पर पैनी दृष्टि रखते हुए हमारे साथियों को कार्य करना चाहिये अधिकार का उपयोग तभी होता है जब हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी लगातार मज़बूती के साथ आगे बढ़ रही है। केन्द्र और प्रदेश दोनों सरकारें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति सकारात्मक दृष्टि अपनाये हुए हैं इसलिए चिकित्सकों को चाहिये कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे समाज में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की गलत छवि बने कारण सरकार को चिकित्सकों से ही यह अनुमान लगता है कि इस विधा से कितने चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय करते हुए जनता को स्वास्थ्यलाभ दे रहें है और इसी जनोपयोगिता के आधार पर मान्यता की राह प्रशस्त होती है। *हर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक का यह नैतिक दायित्व है कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी की गरिमा को बनाये रखे जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मज़बूती से खड़ी हो।*

- इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ही करें प्रैक्टिस
- सरकार का रूख स्पष्ट
- झोलाछापों पर होगी कड़ी कार्यवाही
- इलेक्ट्रो होम्योपैथ झोलाछाप नहीं है
- छोटी सी गलती बड़ी परेशानी

चिकित्सकों के मध्य सनसनी फैला दी कि अब झोलाछापों की खैर नहीं है माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि झोलाछाप कोई और व्यवसाय तलाश लें, उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में लगभग दो लाख झोलाछाप डाक्टर जनता की जिन्दगी से खेल रहे हैं अर्थात बीस करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में हर सौ लोगों के ऊपर एक झोलाछाप है। यह एक गम्भीर समस्या है इस समस्या से हम शीघ्र ही निजात पा लेंगे, मंत्री जी ने जो कहा सो कहा हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ है और हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा से चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है इसलिए हमारे जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक हैं वह समय रहते परन्तु उन्हें औषधियां प्राप्त नहीं हैं वह अनर्गल प्रलाप करते हैं वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां हर छोटे व बड़े शहरों में उपलब्ध हैं इसलिए औषधियों की अनुपलब्धता का बहाना कदाचित स्वीकार नहीं है। एक सच्चे और समर्पित इलेक्ट्रो होम्योपैथ की भांति कार्य करें और किसी भी परेशानी से बचें। आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सकों की जांच पड़ताल का सघन अभियान प्रारम्भ होने वाला है बहुत सम्भव है कि इस अभियान में आप भी जुड़ जायें जब कोई अधिकारी आपकी क्लीनिक का निरीक्षण करने आये तो उसे यह लगे कि यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ही क्लीनिक है इस हेतु हर चिकित्सक को चाहिये कि अपने क्लीनिक के

नये कोर्सों को लेकर इलेक्ट्रो होम्योपैथों में भारी उत्साह

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रदेश स्तर के एक मात्र शासकीय आदेश प्राप्त इलेक्ट्रो होम्योपैथी संगठन बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के 43 वें स्थापना दिवस के अवसर पर बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा दो नये कोर्स जी0ई0एच0 एस0 व पी0जी0ई0एच0 कोर्सों का लोकार्पण कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को और मज़बूती प्रदान की है।

इन कोर्सों को लेकर पूरे प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश से स्थान– स्थान पर इन कोर्सों के लोकार्पण व प्रास्पेक्टस विमोचन के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं और हर कार्यक्रमों में अच्छी खासी संख्या में लोगों की सहभागिता भी देखने को मिल रही है पूरब या पश्चिम प्रदेश के दोनों छोरों में जो उत्साह दिखायी पड़ रहा है ऐसी खुशी वर्षों बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत में दिखायी पड़ी है, इन कोर्सों में प्रवेश लेने के लिए अभी से प्रवेशार्थी जानकारी लेने में लग गये हैं कुछ विद्यालयों में नये प्रवेश भी हो चुके हैं यह इस बात के संकेत हैं कि आने वाला समय इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए ही है, मान्यता के लिए जिस स्तर के पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है यह दोनों कोर्स उस आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं।

अगर कहीं कोई कमी सरकार द्वारा निकाली जाती है तो उसकी पूर्ति भी आसानी से सम्भव है।

परेशानियों को देते निमंत्रण

सामान्यतयः व्यक्ति परेशानियों से बचना चाहता है एवं इस प्रयास में रहता है कि परेशानियों से उसका कदापि सामना न हो परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े लोग हर समय कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे कि परेशानियों को स्वंय ही निमंत्रण मिल जाता है , अगर यह निमंत्रण व्यक्तिगत तौर पर उन्हीं को आनन्द दे जो इस आनन्द को लेना चाहते हैं, लेकिन होता यह है कि उनका यह कार्य समूचे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को परेशानी में डाल देती है।

"गत 2 महीनों से जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हो रहा है वह कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है ।"

____28 फरवरी, 2017 को भारत सरकार द्वारा जो छ्व्ज्प्थ्द्ध।ज्प्छ जारी किया गया है उसके बाद से हमारे साथियों में एक नई चेतना सी जागृत हो गयी है हर साथी आवश्यकता से अधिक सक्रिय हो गया है, तरह–तरह के प्रयोग प्रारम्भ हो गये हैं, मीटिंगों का सिलसिला प्रारम्भ हो गया है, दिल्ली इसका केन्द्र बिन्दु है, हर मीटिंग में लोग जोड़े जाते हैं, बातें बतायी जाती हैं और फिर एक नई मीटिंग की तैयारी शुरु हो जाती है, इन मीटिंगों से क्या प्राप्त हुआ ?इसके परिणाम तो आज तक सामने नहीं आये हैं ! बस एक चीज़ ज़रुर हुयी है कि इन मीटिंगों से कुछ नये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के वैज्ञानिक उभर कर सामने आये हैं, वैसे तो वैज्ञनिकता से इनका कोई लेना–देना दूर–दूर तक नहीं है परन्तु वे लोग अपने आपको स्वंय वैज्ञानिक घोषित कर अपने आपको मानसिक रुप से संतुष्ट कर लेते हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की नित्य नई–नई परिभाषायें गढ़ी जा रही हैं, वर्तमान प्रचलित फार्मेसी पर प्रश्नचिन्ह खड़े किये जा रहे हैं स्पैजिरिक को अव्यवहारिक बताया जा रहा है, आरोपों–प्रत्यारोपों का सिलसिला प्रारम्भ है, तथ्यहीन बातों को प्रभावी बनाने के प्रयास जारी हैं और सक्रियता इस कदर नज़र आ रही है जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मान्यता हमारे इन्हीं साथियों के पॉकेट से निकलने वाली है।

कुछ हो या न हो परन्तु अगर इस सक्रियता में कमी नहीं आयी तो निसंदेह परेशानियां ज़रुर आयेंगी और यह परेशानियां स्वंय द्वारा ही निमंत्रित हैं। ज्यों–ज्यों समय बढ़ता जायेगा त्यों–त्यों व्यवस्थाओं में परिवर्तन आना स्वभाविक है, वैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की आज जो स्थिति है वह अपने आप में बहुत मज़बूत है, भारत सरकार द्वारा बार–बार सकारात्मक आदेश देना इस बात का स्वंय प्रमाण दे रहे हैं कि सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कोई निर्णायक नीति बनाना चाहती है।

यद्यपि सरकार के पास सम्पूर्ण जानकारियां हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी कब जन्मी ?इसका विकास कैसे हुआ ?औषधियों की गुणवत्ता क्या है ?उनकी सुरक्षा एवं उपयोगिता की भी सम्पूर्ण जानकारी सरकार के पास पहले से ही उपलब्ध है और जो कुछ भी अन्य जानकारियां सरकार को चाहनी होगी सरकार के पास इतने मज़बूत संसाधन हैं कि वह उसे जब चाहे प्राप्त कर सकती है, यह तो हम सबका भाग्य है कि सरकार ने हमें यह अवसर प्रदान किया है कि हम सब अपने–अपने स्तर से सरकार को वांछित सूचनायें उपलब्ध करायें, इसका दूसरा पहलू यह भी है कि सरकार आपको पूरा अवसर दे रही है कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हर अंग की जानकारी अपने स्तर से प्रदान करें जिससे कि सरकार प्राप्त जानकारी के आधार पर ही निर्णय ले।

हमारे द्वारा प्रदत्त हर सूचना इतनी मज़बूत होनी चाहिये कि सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष जब हमारा दावा प्रस्तुत किया जाये तो हमारी दावेदारी में कोई कोर–कसर न रह जाये और विशेषज्ञ समिति में नामित किसी भी सदस्य को कोई कमी निकालने का अवसर प्राप्त हो। कमी तो हर एक में होती है परन्तु कुछ ऐसी किमयां होती हैं जो समय रहते पूर्ण की जा सकती हैं और कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिन्हे पूरा करने के लिये कुछ समय की मांग की जा सकती है।

पूर्णतः तो तभी होगी जब भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को संचालित होते रहने के लिये कोई ठोस और स्पष्ट नीति का निर्धारण किया जाये, एक पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण किया जाये अस्तु सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुये कार्य करें एवं अनचाही परेशानियों को निमंत्रण न दें।

कौन तय करेगा ? क्वालीफाइड

इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भविष्य तय कराने वाले एक अजीब सी उलझन में फँसे हैं कि भविष्य तय कराने के लिये जो अगुवायी करेंगे उनकी **Qualification** क्या होगी **Qualified** और **Non Qualified** में अन्तर कैसे किया जाये इसपर भी एक राय नहीं हैं जो खुद को इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे थे वे ही **Qualified** और **Non Qualified** के विषय में ज़्यादा चिन्तित हैं बहुत सम्भव है कि उनकी यह चिन्ता दिखावा मात्र हो क्योंकि जो लोग चिन्ता का दिखावा कर रहे हैं वे सामान्य इलेक्ट्रो होम्योपैथ की ही तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ही अपनी सुरक्षा तलाशते, लेकिन शायद उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं था कि कभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के दिन भी बदलेंगे तभी तो पाँच – सात साल पहले ही उन्होंने खुद को सुरक्षित बनाने के लिये किसी दूसरी विधा की शरणागति स्वीकार की थी।

किसी भी पैथी की जानकारी लेना कोई बुरी बात नहीं है परन्तु जब व्यक्तिगत सुरक्षा के लिये कोई काम किया जाता है और दूसरों को यह बताना कि तुम जहाँ पर हो वहीं सुरक्षित हो हम तुम्हारी सुरक्षा की लड़ाई लड़ेंगे अच्छा तो यह होता कि यदि आप अपनी योग्यता गोपनीय रखते और हमारी लड़ाई के साथ – साथ होते, आज पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक आन्दोलन एक नया रुप ले चुका है अब मात्र बातों से या भाषणबाज़ी से काम चलने वाला नहीं है जो यर्थाथ है उसे ही दिखाना पड़ेगा आश्वासनों के सहारे कार्य नहीं होने वाला है, पिछले 2 वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को मान्यता दिलाने वाले अगुवाकार हमारे चिकित्सकों से लगातार यह छद्म वादा करते रहे हैं कि मान्यता हम दिलाकर रहेंगे कभी बिल को मुद्दा बनाकर तो कभी धरने व आन्दोलन की शक्ल से साथियों को दिलासा दिलायी जाती रही है।

समय के साथ–साथ लोगों का भरोसा हमारे तथाकथित नेताओं से उठता गया चूँकि वह वास्तविकता जान चुके हैं, अब ज़्यादा दिनों तक किसी को भी झाँसे में नहीं रखा जा सकता है, आज जब भारत सरकार ने एक अवसर दिया है तो हम सब को इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ लेना चाहिये, परन्तु कष्ट होता है यह देख और सुनकर कि जो लोग अगुवाकार हैं वही एकमत नहीं हैं। एकमत आसानी से लोग नहीं होते परन्तु एक राय तो हो ही सकते हैं, हँसी की स्थिति उत्पन्न होती है जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के यह अगुवाकार ही एक दूसरे की योग्यता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और अन्दर की इन बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक कर रहे हैं जो ज़िम्मेदार व्यक्ति यह कार्य कर रहे हैं उन्हे यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि फेस–बुक एक ऐसा मंच है जहाँ पर आपकी बात हर उस तक पहुँच जाती है जिसका इलेक्ट्रो होम्योपैथी से दूर–दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है, कारण फेस–बुक से इलेक्ट्रो होम्योपैथ के अतिरिक्त उसके अन्य साथी भी जुड़े होते हैं ऐसे में ज़िम्मेदार लोगों द्वारा की गयी कोई भी एक टीका–टिप्पणी हमें हास्य का पात्र बना देती है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है भारत सरकार द्वारा 28 फरवरी, 2017 के नोटिस के माध्यम से मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में विभन्न संगठनों द्वारा दिल्ली में 28 मार्च, 16 अप्रैल, 2017 को मीटिंगे आयोजित की गयीं इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नेतागण व वैज्ञानिक शामिल हुये लोगों ने अपनी–अपनी राय रखी परन्तु एकता की बात करने वाले खुद ही एक नहीं रह पाये ! एक आध ऐसे भी लोग हैं जो हर मीटिंग में शामिल होते हैं और जब मीटिंग समाप्त होती है तो उस मीटिंग में लिये गये निर्णयों का भरपूर बखान करते हैं और यहाँ तक दावा करते हैं कि इस मीटिंग में जो निर्णय लिये गये इन निर्णयों के पालन से ही मान्यता मिल जायेगी, परन्तु जैसे ही वह दूसरी मीटिंग में जाते हैं वह पहले मीटिंग में लिये गये निर्णयों को बकवास बताने लगते हैं और फिर एक नई मीटिंग में जाने की तैयारी करने लगते हैं ऐसी मानसिकता एवं ऐसे चरित्र वाले लोग कभी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भला नहीं कर सकते हैं।

अब कोलकाता में एक मीटिंग आयोजित की जा रही है इस मीटिंग में शायद इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दिलाने का कोई एजेण्डा तैयार हो जाये अभी तक तो ऐसी कोई तस्वीर उभर कर सामने नहीं आ रही है, यह बात हम समय को देख कर कह रहे हैं क्योंकि पूरे देश से 20 क्वालीफाइड लोग ही इस बैठक में भाग लेंगे क्वालिफाइड का मापदण्ड क्या है ? यह शायद यह लोग अभी तक सार्वजनिक नहीं कर सके, क्या जो अन्य विधा से शिक्षित हैं वही क्वालिफाइड हैं या फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथ भी क्वालिफाइड की श्रेणी में रखे गये हैं ? जब हमारे इन साथियों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर भरोसा ही नहीं रहा तो यह हमारी अगुवाई कैसे करेंगे ? क्या होम्योपैथ और आयुर्वेद के चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की योग्यता का निर्धारण करेंगे ? या फिर वे लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी की योग्यता का निर्धारण करेंगे जो होम्योपैथी, यूनानी, फिज़ियोथिरेपी में दक्षता का दावा करते हैं ?यह तो समय ही बतायेगा कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य मज़ेदार बात तो यह है कि हमारे एक अगुवाकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक काउण्ट सीज़र मैटी की ही योग्यता **P.G.E.H.** व **A.C. E. H.** घोषित कर दी अगर मज़ाक में भी यह बात कही है तो भी हज़ारों लोग चाहे वे इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े हों या न जुड़े हों सभी मैटी की योग्यता जान चुके हैं वास्तव में यदि यह मज़ाक है तो इन्हें अपने इस कृत्य पर डेली 5 पोस्ट डालकर सभी से खेद प्रकट करना चाहिये कि उन्होनें एक वैज्ञानिक का उपहास किया था जिसका दिल दुखा हो इस पोस्ट से तो क्षमा करें।एक और ग्रुप है जो मान्यता दिलाने की दिशा में काम कर रहा है उस संगठन के मुखिया ने बाकायेदा उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र को ही प्रभावी मानते हुये कमेंटियां गठित कर दी हैं यह कमेटियां इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिये कार्य करेंगी। अब समझने की बात यह है कि वास्तव में होना क्या चाहिये और हो क्या रहा है ? हमारे साथी समझ नहीं पा रहे हैं या फिर जानबूझ कर एक नई स्थिति निर्मित करना चाहते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हमारे हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ को चिन्तन करना होगा क्योंकि एक ज़रा सी भूल हमको वर्षों पीछे ले जायेगी इसलिये जो कुछ भी निर्णय लें या जो भी कदम उठायें वह बहुत सोच समझ कर उठायें कारण यह है जो भी लोग हमारी नइया पार करने में लगे हैं वे ही खेवनहार की जगह घातक न बन जायें। यह एक या दो व्यक्ति की बात नहीं है देश के लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथों के भविष्य का प्रश्न है ! इसलिये लाखों ज़िन्दगियों से खिलवाड़ करने की अनुमति कदापि नहीं दी जा सकती है। **Qualified** और **Un- Qualified** के खेल में यह जो खेल खेलना चाह रहे हैं वह इनकी नियति बता रही है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का तारणहार वही हो सकता है जिसकी आस्था और विश्वास इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर हो और जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की **Qualification** पर गर्व करता हो।

कोई माने या न माने सरकार तो मानती है

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की अधिकारिता पर प्रायः हमारे अपने ही साथियों द्वारा ही प्रश्न पैदा किये जाते हैं और यह भरपूर प्रयास किया जाता है कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की छवि येन-केन-प्रकारेण धूमिल की जाये परन्तु उनकी यह इच्छा प्रभू पूरी ही नहीं करते हैं क्योंकि उनके मन में खोट है समय-समय पर बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की गतिविधियों पर सन्देह व्यक्त किया जाता है और मज़ा तो तब आता है जब हमारे यही साथी खिसयानी बिल्ली खम्बा नोचे के मुहावरे पर आधारित होकर अनर्गल वार्ता करे लगते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा तमाम तरह की जाँच पड़ताल कर व उससे संतुष्ट होकर ही किसी संस्था या संगठन के लिये सकारात्मक आदेश निर्गत किया जाता है।

जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं वे ही तर्कहीन प्रश्न पैदा करते हैं जो लोग इस प्रकार के कुत्सित कार्य में व्यस्त रहते हैं प्रभू उनको जवाब स्वंय देते हैं, यहाँ बताना उचित होगा कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की स्थापना 24 अप्रैल, 1975 को पूर्ण वैधानिकता के साथ की गयी थी।

प्रदेश की एकमात्र संस्था बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ही है जिसे सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के लिये शासनादेश जारी किया है।

जो लोग बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की वैधानिकता पर कुतर्क करते हैं। उनके अल्प ज्ञान को भी हम प्रणाम करते हैं, यहाँ पर हम एक ऐसा पत्र पाठकों की जानकारी के लिये प्रकाशित कर रहे हैं जो बोर्ड की अधिकारिता को स्वंय प्रमाणित करता है, 28 मार्च, 2017 को सिराथू कौशाम्बी के एक चिकित्सक ने राज्य सूचना आयोग से कुछ जानकारी चाही राज्य सूचना आयोग ने वह पत्र सीधे बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को प्रेषित कर बोर्ड की अधिकारिता पर एक और मुहर लगा दी, यह मुहर उन लोगों के मुँह पर एक तमांचा भी है जो समय-समय पर बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के विरुद्ध भ्रामक प्रचार किया करते हैं।

प्रेषक,

स्पीड पोस्ट

जन सूचना अधिकारी/उपसचिव,
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग,
कक्ष सं0-412, आर0टी0आई भवन,
विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ।
दूरभाष संख्या-0522- 2734945

सेवा में,

जनसूचनाधिकारी/निदेशक,
बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0,
टण्डन मार्केट-5, लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक 416 /रा0सू0आ0/2017 दिनांक 13 अप्रैल 2017

विषय: **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत माँगी गई सूचना के सम्बन्ध में –**

महोदय,

कृपया डा0 अमित कुमार शर्मा का संलग्न आवेदन दिनांक 28.03.2017 (पंजीकरण संख्या-20), जो जनसूचना अनुभाग में दिनांक 06.04.2017 को प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना माँगी जा रही है, प्राप्त करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त आवेदन आपको स्थानान्तरित किया जा रहा है क्योंकि माँगी गयी सूचना की विषय वस्तु आपके विभाग/कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने उक्त अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए 10 रुपये (दस रुपये मात्र) फीस के रूप में भुगतान किया है जिसे सरकारी कोषागार/लेखा में जमा कर दिया गया है। सलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(तेजस्कर पाण्डेय)
जन सूचना अधिकारी/
उपसचिव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :
डा0 अमित कुमार शर्मा, निदेशक, सेन्टर ऑफ आल्टरनेटिव यूनिवर्सल, सी0आई0बी0 कैम्पस, सिराथू, कौशाम्बी चूँकि आप के उपरोक्त आवेदन में वांछित सूचना इस विभाग/कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं पड़ती है अतः उसे क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित लोक प्राधिकरण के राज्य लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित कर दिया गया है। अनुरोध है कि आप ऊपर उल्लिखित राज्य लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क करें।

(तेजस्कर पाण्डेय)
जन सूचना अधिकारी/
उपसचिव।

RTI FORMAT IV - April 2017.docx

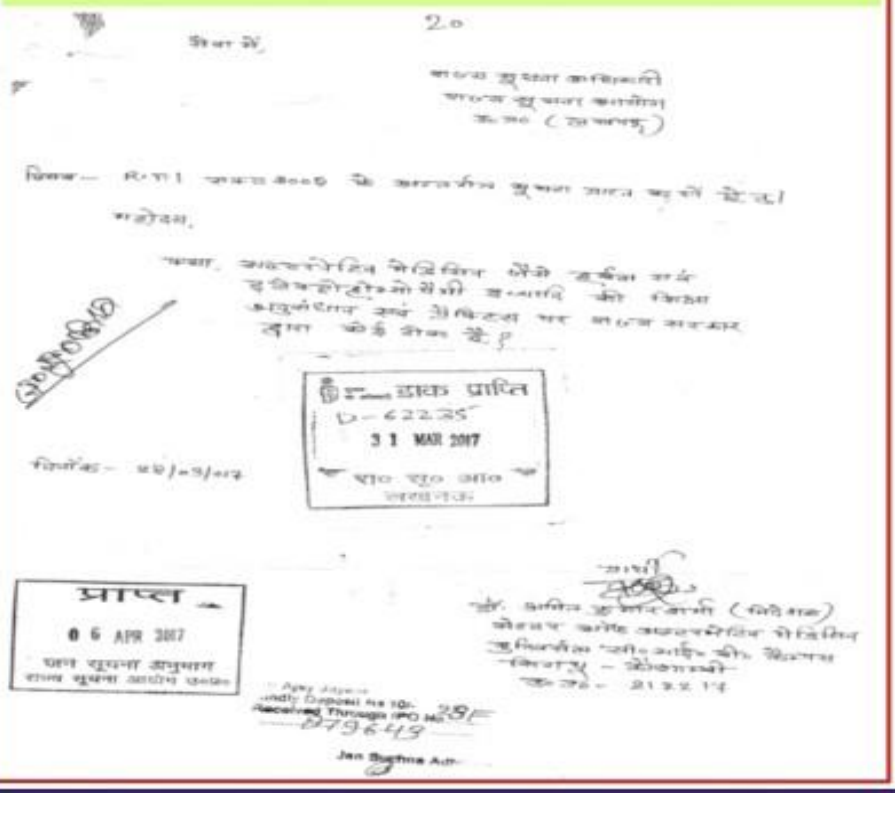

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियां स्वतः प्रमाणित हैं इन्हें किसी भी तरह की प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है यह विचार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों की गुणवत्ता एवं प्रमाणिकता विषयक गोष्ठी में अधिकांश वक्ताओं द्वारा व्यक्त किये गये, अनेक वक्ताओं का यह स्पष्ट मत था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियां जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया में समाहित हैं अस्तु इन औषधियों के निर्माण और गुणवत्ता पर कोई संशय नहीं है वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों का निर्माण विश्व स्तरीय होम्योपैथिक औषधि निर्माता कम्पनी विल्मर शावे द्वारा निर्मित की जा रही हैं। ऐसी विश्व स्तरीय कम्पनी द्वारा निर्मित औषधियों की गुणवत्ता पर सन्देह करना होम्योपैथी पर प्रश्न खड़ा करना जैसा है, स्पैजिरिक विधि द्वारा औषधियों का निर्माण इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सिद्धान्त पर मुहर लगाता है, 114 पौधों से निर्मित यह औषधियां पूर्ण सुरक्षित व अहानिकर हैं, वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियों के निर्माण पर प्रश्न खड़ा करना अपरिपक्वता का सन्देश देता है।

होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी दोनों के औषधि निर्माण विधि में जमीन आसमान का अन्तर है और यही निर्माण विधि दोनों चिकित्सा पद्धतियों के मध्य अन्तर स्थापित करती हैं, होम्योपैथी में मदर टिंचर एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में स्पैजेरिक एसेन्स बनते हैं और दोनों की ही निर्माण विधियां **G.H.P.** का एक अंग है।

ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की औषधियों के प्रमाणीकरण की बात करना सर्वथः अनुचित है अभी मान्यता के लिये वर्तमान मानक ही सहायक होंगे और इसी से मान्यता की राह खुलेगी।

43 वाँ स्थापना दिवस समारोह के दृश्य

इस बार बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 का 43 वां स्थापना दिवस बड़े धूम–धाम से बोर्ड से सम्बद्ध इन्सटीट्यूटों,स्टडी सेन्टर्स एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चिकित्सकीय कार्य कर रहे इलेक्ट्रो होम्योपैथों द्वारा अपने चिकित्सालयों में समारोह कुछ इस तरह मनाया गया।

भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्सटीट्यूट जौनपुर में स्थापना दिवस समारोह कुछ इस प्रकार मनाया गया इन्सटीट्यूट के छात्रों के साथ डा0 प्रमोद कुमार मौर्या

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट जालौन में स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित क्षेत्रीय जनता एंव दायीं ओर प्रबन्धक श्री कुलदीप सिंह

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट शाहजहांपुर में कुछ चिकित्सकों द्वारा स्थापना दिवस अपने चिकित्सालय में भी मनाया गया उनमें से एक हैं डा0 मनोज कुमार साथ में हैं उनके मरीज़।

बरेली में डा0 शकील अहमद द्वारा अपने क्लीनिक में स्थापना दिवस कुछ इस प्रकार मनाया गया।

अवध इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट लखनऊ में स्थापना दिवस इस तरह मनाया गया मैटी के बायें ओर डा0 आर0 के कपूर।